संख्या-139/2018/3338/71-2-2018-34/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल,
चकगंजरिया, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपकरण क्रय हेतु अनुमोदित सूची के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-डी0आई0आर0/सी0आई0/80/108/2018, दिनांक 03-10-2018 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-127/2018/3034/71-2-2018-34/2018, दिनांक 05-10-2018 एवं सपठित शासनादेश संख्या-138/2018/3059/71-2-2018-34/2018, दिनांक 13 नवम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने को निर्देश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 13 नवम्बर, 2018 द्वारा उपकरण क्रय न किये जाने वाले जिन उपकरणों की सूची अनुमोदित की गयी है, उनकी अनुमानित लागत लगभग रू0 1036.337 लाख है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने को निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या-127/2018/3034/71-2-2018-34/2018, दिनांक 05-10-2018 के प्रस्तर-2 की पंक्ति-3 में अंकित धनराशि रू0 3320.1172 लाख (रूपया तैतीस करोड बीस लाख ग्यारह हजार सात सौ बीस मात्र) के स्थान पर रू0 3320.1172-1036.337 = रू0 2283.7802 लाख पढी एवं समझी जाये। शासनादेश दिनांक 05-10-2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-139/2018/3338(1)/71-2-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in